न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,
जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 04/2013

श्रीमती हेमलता बनाम चांदमल चौपड़ा व अन्य

दिनांक 23.07.2024

वकुलाय फरिकेन उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा अधिवक्ता वादिया द्वारा प्रस्तुत दरखास्त दिनांकित 23.02.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब प्रतिवादी सं. 3 ने दिनांक 14.02.2022 को पेश किया है व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा।

अधिवक्ता वादिया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 श्री चांदमल चौपड़ा की मृत्यु बमुकाम जयपुर में हो गई है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता सहित प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान 1/1 धनपत मल चौपड़ा पुत्र स्व. श्री चांदमल चौपड़ा, 1/2 कुसुम पुत्री स्व. चांदमल, 1/3 हेमलता पुत्री स्व. चांदमल, 1/4 दिलीप कुमार चौपड़ा पुत्र स्व. चांदमल एवं 1/5 हीरा पुत्री स्व. श्री चांदमल है। उपरोक्त समस्त विधिक वारिसान पहले से ही दावे में पक्षकार चले आ रहे है। वादी को प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु के बाद भी शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा चलाए रखने का राइट टू श्यू सरवाइव करता है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः श्री चांदमल चौपड़ा के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया जावे और तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दरखास्त का जवाब प्रतिवादी सं. 3 की ओर से इस आशय का पेश किया है कि हस्तगत प्रकरण झूठे व अवैध तथ्यों के आधार पर न्यायालय में

लंबित है। यह सही है कि मामले के लंबित रहते हुए मूल प्रतिवादी सं. 1 चांदमल चौपड़ा का देहान्त हो गया है, लेकिन प्रार्थना पत्र के शेष तथ्य झूठे, अवैध व अस्पष्ट है। मूल प्रतिवादी चांदमल चौपड़ा (मृतक) की मृत्यु के दिवस की जानकारी के बावजूद वादिया द्वारा अपने संपूर्ण प्रार्थना पत्र में उक्त बाबत अंकन नहीं किया है, ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छया से व पूर्ण स्वस्थ मनःस्थिति में रूबरू गवाहान दिनांक 27.08.2012 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया था एवं उसे विधिनुरूप पंजीयन हेतु उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। उक्त वसीयतनामा को उसी दिवस अर्थात दिनांक 27.08.2012 को ही को उप पंजीयक, ब्यावर द्वारा नियमानुसार पंजीबद्ध भी किया गया। ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण में प्राकृतिक उत्तराधिकार के प्रावधान कतई भी लागू नही होते हैं वरन वसीयती उत्तराधिकार के प्रावधान लागू होते हैं। इसकी पूर्ण व पर्याप्त जानकारी वादिया को होने के बावजूद उसने जानबूझकर उक्त गलत, अवैध, झूठा व आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित कोई भी आधार प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में कतई भी लागू नही होते हैं। प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित प्रावधानों के प्रतिकूल प्रस्तुत किया गया है, कि जो न केवल देरीना है वरन सद्भाविक भी नहीं है। चूंकि प्रार्थना पत्र न्यायिक कार्यवाही का खुला दुरुपयोग मात्र है, अतः निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र भी विधिक प्रावधानानुसार हस्ताक्षरित, सत्यापित व गठित नहीं है। अतः वादिया का प्रार्थना पत्र उत्तरदाता को विशेष व्यय दिलाते हुए सव्यय अस्वीकार किए जाने बाबत निवेदन किया।

मेरे द्वारा उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया हेमलता पुत्री श्री चांदमल चौपड़ा द्वारा यह वादपत्र वास्ते हक घोषणा एवं निरस्त करने बेचाननामा दिनांक 26.11.2011 (पंजीयन दिनांक 29.11.2011) व निरस्त करने वसीयतनामा दिनांकित 26.05.1992 व विभाजन कराने तथा

निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण के रूप में स्वयं वादिया के पिता, बहन–भाई व अन्य पक्षकार है।

प्रार्थिया ने आदेश 22 नियम 2 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आदेश 22 नियम 2 जा.दी. यह सिद्धान्त प्रतिपादित करता है कि जहां किसी मामले में एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और जहां वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी या वादियों को या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा रहता है, वहां न्यायालय अभिलेख में उस भाग की एक प्रविष्टि कराएगा और वाद उत्तरजीवी वादी या वादियों की प्रेरणा पर या उत्तरजीवी प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरूद्ध आगे चलेगा।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.08.2012 की एक वसीयत का उल्लेख किया है, जिसका रजिस्टर्ड होना बताया है, जो कि मृतक चांदमल चौपड़ा द्वारा अपने जीवनकाल में किया जाना बताया है। अतः उस वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होकर वसीयती उत्तराधिकार के प्रावधान लागू होना बताया है। वादिया के प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं है कि उसके पिता प्रतिवादी सं. 1 चांदमल चौपड़ा की मृत्यु की दिनांक क्या है व न ही दिनांक 27.08.2012 की वसीयत के संदर्भ में कोई उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी द्वारा जो आक्षेप उठाए गए हैं, वह इस स्तर पर तय नहीं किए जा सकते हैं। प्रार्थिया द्वारा तथाकथित बेचाननामा व विभाजन निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा है। तथाकथित वसीयत जिसका कि उल्लेख प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया है, यह किसके पक्ष में की गई है, इस संदर्भ में भी कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। हालांकि एक फोटोप्रति वसीयत श्री चांदमल चौपड़ा द्वारा कुसुम चौधरी व हीना कांस्टिया के पक्ष में दिनांक 27.08.2012 को किया जाना प्रथम दृष्टया उपलब्ध फोटोप्रति

दस्तावेज से सामने आता है। उक्त वसीयत का हस्तगत प्रकरण की वैध मान्यता पर क्या प्रभाव होगा, यह आज मात्र दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण से और प्रतिवादी के अभिकथनों से तय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिया जिन आधारों पर वाद लाई है, वे आधार उक्त वसीयत के अस्तित्व में रहने पर मान्य होंगे या नहीं। यह भी प्रकरण के इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत डिलिट किए जाने नाम चांदमल चौपड़ा स्वीकार कर संबंधित लिपिक को प्रतिवादी सं. 1 चांदमल चौपड़ा के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक शब्द अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया में दिनांक ..... को पेश हो।